

13.03.2024 पत्रावली पेश हुई।

अधिवक्ता वादी एवं वादी अनुपस्थित।

रुक्-रुक् कर तीन बार आवाज लगवाई
गई, आवजुद इसके कोई अस्थित नहीं।
इससे प्रतीत होता है कि वादी एवं अधिवक्ता
वादी अपने दावे को लेकर सम्मोह नहीं
हैं अतः दावा अदम हाजिरी अदम पैरवी
में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।
पत्रावली केवल शुमार होकर नम्बर से
कम की जाकर दाखिल दफतर हो



सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर